



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। गांधीजी के सत्य-अहिंसा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश उनके पदचिन्हों पर चल रहा है। उनके सिद्धांतों तथा विचारों को पूरा विश्व मानता है। देश की आजादी से लेकर आज तक भी उनके सिद्धांत प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर उपमुख्य मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित अनेक मंत्री उपस्थित थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सेंट्रल कोर्ट पर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रपति मुर्मू 3 और 4 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 व 4 अक्टूबर को राजस्थान की यात्रा पर रहेंगी। तीन अक्टूबर को राष्ट्रपति, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय

3 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तथा 4 अक्टूबर को माउंट आबू में ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी।

के 32 वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति चार अक्टूबर को, माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा "स्त्रिचुल्लिटी फॉर क्लीन एण्ड हेल्दी सोसायटी" विषय पर आयोजित ग्लोबल समिट में भाग लेंगी। उसी दिन वे, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट में चिकित्सक पर कार्यवाही पर रोक लगाई

जयपुर, 2 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी एन.ओ.सी. के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से जुड़े मामले में फॉर्मिडस अस्पताल के डॉक्टर ज्योति बंसल के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को पुलिस अनुसंधान में

■ फॉर्मिडस अस्पताल की डॉ. ज्योति बंसल की विशेष अनुमति याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई।

शामिल होकर सहयोग करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश डॉ. ज्योति बंसल को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। एस.एल.पी. में अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला ने कहा कि एस.ओ.जी. को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा संभागीय आयुक्त के जयपुर सहित कई ठिकानों पर ए.सी.बी. ने छापे मारे

ए.सी.बी. ने कोटा संभागीय आयुक्त आई.ए.एस. ऑफिसर राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया

जयपुर/कोटा, 2 अक्टूबर (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोटा संभागीय आयुक्त, आईएएस ऑफिसर राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर बुधवार को जयपुर, कोटा और दोसा में उनके चार ठिकानों पर छापे मारकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 13 रैजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और 2 लाख 22 हजार रु. से अधिक की नकदी मिली। इसके अलावा 335 ग्राम सोने व 11 किलो 800 ग्राम चांदी के जेवर और तीन फोर व्हीलर मिले हैं। वहीं 16 बैक खाते मिले हैं, जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। उनके कोटा में 2 ठिकानों और जयपुर के एक ठिकाने पर 8 घंटे तक सर्च की कार्रवाई चली। वहीं, दोसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है।

छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर कोटा संभागीय आयुक्त के पद से हटा दिया है। उनका चार्ज कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी को सौंपा है।

- राजेंद्र विजय ने सात दिन पहले ही कोटा के डिविजनल कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया था
- तलाशी के दौरान 13 रैजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और 2 लाख 22 हजार से अधिक की नकदी मिली। इसके अलावा 335 ग्राम सोने व 11 किलो 800 ग्राम चांदी के जेवर और तीन फोर व्हीलर तथा 16 बैक खाते मिले हैं, जिनमें लाखों रुपए जमा हैं।
- राज्य सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर कोटा संभागीय आयुक्त का चार्ज कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी को सौंपा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय की गोपनीय सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी कि कोटा संभागीय आयुक्त आई.ए.एस. राजेंद्र विजय भ्रष्टाचार कर अपने एवं अपने परिजनों के नाम से आय से अधिक चल-अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

इस सूचना का ए.सी.बी. की इंटेलिजेंस शाखा द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित का मामला दर्ज किया गया। ए.सी.बी. जयपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट जयपुर के अतिरिक्त पुलिस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भाजपा सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है'

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 24 फसलों पर एम.एस.पी (मिनिमम सपोर्ट प्राइज) घोषित करके किसानों को बेवकूफ बनाया है क्योंकि 24 में से 10 फसलें तो हरियाणा में उगती ही नहीं हैं। हरियाणा के जुलाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने

- कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिन 24 फसलों पर एम.एस.पी. घोषित की हैं, उनमें से दस तो हरियाणा में उगाई तक नहीं जाती हैं।

बताया कि किसान आंदोलन के समय कैसे दिल्ली की सीमाओं पर 750 किसानों ने बलिदान दिया था। उन्होंने हरियाणा के किसानों, जवानों तथा पहलवानों के साथ किए गए अन्यायों को भी गिनाया। उन्होंने कहा, सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की, ताकि जवान शहीद हो जाएं तो उसके माता पिता को पैशन तक न मिले, और चार साल बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जब मैं ओलंपिक्स में डिस्कवालिफाई हुई, मोदी जी का फोन आया था'

"पर, मैंने प्र. मंत्री जी से बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को "सोशल मीडिया" पर हंसी मज़ाक का पात्र नहीं बनाना चाहती थी," विनेश फोगाट ने चुनावी आमसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर। चुनावधीन हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार तथा ओलम्पियन पहलवान विनेश फोगाट का प्रचार करते हुए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को जुलाना में महिलाओं से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा। उन्होंने एक किसान परिवार से जुड़ी स्नेहपूर्ण बातें साझा की, राज्य की बालिकाओं के पक्के इरादों की सराहना की तथा फोगाट की हिम्मत की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

विवादित कृषि कानूनों, अग्निवीर योजना तथा बेरोजगारी को लेकर, भाजपा पर प्रहार किया। प्रियंका ने आठ साल पुरानी एक घटना का जिक्र किया, जब उनकी बेटी हरियाणा के एक बास्केटबॉल कोचिंग कैम्प में पंजीकृत हुई थी। उन्होंने कहा कि एक दिन वे अपनी बेटी को छोड़ने वहां आई थीं। तब उन्होंने कुछ समय आसपास के खेतों में गुजारा उन्होंने

- प्रियंका गांधी ने भी इस आम सभा में हरियाणा से जुड़े अपने उन अनुभवों को सुनाकर अभिभूत किया, जब उनकी पुत्री हरियाणा बास्केटबॉल का कोचिंग कैम्प "अटैन्ड" कर रही थी और उन्हें हरियाणा के लोगों का, विशेषकर महिलाओं का अपनाने व हिम्मत रूबरू देखने का व महसूस करने का मौका मिला था और जो संबंध उस समय बने आज भी बरकरार हैं, बल्कि समय के साथ और मजबूत हुए हैं।

सुनाया, "एक वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें मैंने "दादू" कहा था, अपनी फसल काट रहे थे। अपने बारे में कुछ भी बताये बिना मैं उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि मुझे फसल काटना सिखाएं, उन्होंने मुझे सिखाया तथा वे मुझे अपने घर ले गये। उनके पूरे परिवार ने अपनी बेटी की तरह मेरा स्वागत-सत्कार किया।" जब मुझे उनके घर पर चार-पाँच घंटे हो चुके थे, तो उनका बेटा मनोज वहाँ आया। इसे संयोग ही कहा जायेगा

कि मनोज ने रायबरेली में कांग्रेस के लिये काम किया था, इसलिये वह मुझे तुरंत पहचान गया। इस बात को करीब आठ साल हो गये हैं तथा मनोज, उसके दादू और (नई दिल्ली में) मेरे घर अब भी आते-जाते हैं। यह हरियाणा की संस्कृति है। देख लीजिये, हरियाणा के लोग कितने स्नेहिल प्रकृति के हैं!" गांधी ने एक और घटना का जिक्र किया और सुनाई, जब उनकी बेटी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने आवंटी महिला को मकान देने की बजाय 36 साल तक प्रताड़ित किया

वर्ष 1989 में विभाग द्वारा आवंटी आवस का कब्जा पीड़िता को अब राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय ने दिलाया है

में यह प्लॉट भी किसी अन्य को आवंटी कर दिया गया। अब 30 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के आयुक्त और सचिव को लताड़ लगाई है। साथ ही जिला उपभोक्ता मंच और राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा पीड़ित के पक्ष में दिए गए दोनों फैसलों को जायज़ ठहराया और हाऊसिंग बोर्ड की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सरला जैन को जवाहर नगर स्कीम में प्लॉट नंबर "4 स 24" देने का वादा किया था, लेकिन बाद भी मकान नहीं मिल सका। इस बीच अफसरों ने यह भूखंड उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर आवस नंबर "4 स 24" देने का वादा किया था, लेकिन बाद

■ जयपुर की जवाहर नगर स्कीम में पीड़िता सरला जैन ने हाऊसिंग बोर्ड से वर्ष 1988 में आवस "4 स 24" खरीदा था, लेकिन विभाग ने उन्हें यह आवस देने के बजाय पहले तो दूसरा आवस "4 स 24" देने का झांसा दिया, लेकिन बाद में दोनों में से एक का भी कब्जा नहीं दिया।

■ हैरानी की बात यह है कि हाऊसिंग बोर्ड ने आवस "4 स 24" उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी, लेकिन यह मकान विभाग के पास वर्ष 2000 तक उपलब्ध था, जिसे 14 जून 2000 को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल मजीद की पत्नी सीमा मती को आवंटी कर दिया।

■ इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बात यह है कि, हाऊसिंग बोर्ड ने सरला जैन को दूसरा आवस "4 स 24" देने का जो वादा किया था, वह भी नहीं निभाया। पहले तो उन्हें पत्र लिखकर बताया गया कि, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने यह आवस "हाऊसिंग कमिश्नर" के नाम पर रिजर्व कर रखा है।

नड्डा 5 अक्टूबर को जयपुर रहेंगे

जयपुर, 2 अक्टूबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जयपुर प्रवास पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। इस दौरान सांगानेर एयरपोर्ट पर नड्डा का भव्य

- वे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मुकालात करेंगे व उन्हें भाजपा का सदस्य बनायेंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से भी सदस्यता अभियान पर संवाद करेंगे।

स्वागत किया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 7.30 बजे से स्टेच्यू सेंट्रल स्थित एक होटल में जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से संवाद करेंगे और सदस्य बनाएंगे। भाजपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहुंचाने का मुआवजा देने के साथ ही 5 हजार रु. कानूनी खर्च राशि दी जाये। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 30 मार्च 2016 को पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर 2 माह में पीड़ित को आवस का कब्जा और मुआवजा राशि नहीं दी गई तो राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड को उसे 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के साथ यह रकम चुकानी पड़ेगी।

इस मामले में याचिकाकर्ता सरला जैन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने सरला जैन को 17 नवंबर 1988 को जवाहर नगर स्कीम में आवस "4 स 24" आवंटी किया था। इसके बदले पीड़ित ने 60 हजार रु. की रकम एकमुश्त चुकाई थी। इसके बाद 20 मार्च 1989 को यह हाऊसिंग बोर्ड ने पत्र जारी करके सरला जैन को कहा कि, विभाग के पास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)